



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : SEPTEMBER 9, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. कमजोर मानसून के कारण भारत में बिजली की मांग में उछाल और कोयले की कमी	2
2. हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब भर में तेल सुविधाओं पर हमला किया: पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा	4
3. ओडिशा में पाए गए पांच छोटे ओरंगुटान: विदेशी वन्यजीव तस्करी का संदेह	5
4. ओरिएंटल जीनोम अध्ययन से खुलासा: एंडोमेट्रियोसिस आनुवंशिक हो सकता है	7
5. भारत के युवा दुनिया की बुजुर्ग होती अर्थव्यवस्थाओं को शक्ति प्रदान कर सकते हैं	9
6. एक संभावित G3 ब्रिक्स (BRICS) पर छाया डाल रहा है	10
7. एक सपाट नक्शा पृथ्वी को सटीक रूप से दर्शाने में क्यों विफल रहता है	12
8. बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्टिंग के साथ भारत की समस्या: अंदर की बात	14
9. गुजरात के BAPS संप्रदाय की जड़ें और उदय: ऐतिहासिक विकास और वैश्विक पदचिह्न	16
10. जीडीपी (GDP) पर हंगामे से आश्चर्यचकित: पद्धतियां और डेटा पहले से ही सार्वजनिक	17
11. भारत-जापान रक्षा सहयोग ने नई राह बनाई	19
12. G20 यात्रा/परिवहन से CO2 उत्सर्जन को कैसे कम कर सकता है?	21

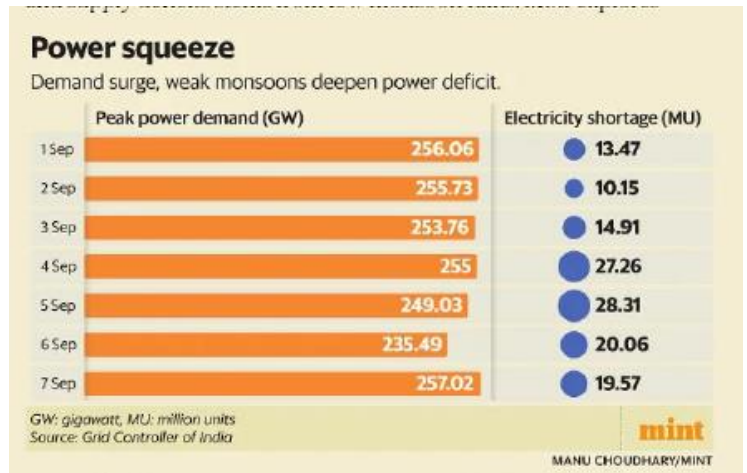


1. कमजोर मानसून के कारण भारत में बिजली की मांग में उछाल और कोयले की कमी

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **बिजली की मांग में उछाल:** सितंबर की शुरुआत में भारत की चरम (पीक) बिजली मांग 255 गीगावाट (GW) को पार कर गई, जबकि बिजली की कमी 2 करोड़ (20 मिलियन) यूनिट (MU) से अधिक हो गई।
- **मानसून से जुड़ाव:** कमजोर मानसून वर्षा के कारण कृषि क्षेत्र को धान की फसलों की सिंचाई के लिए भूजल पंपिंग पर निर्भर होना पड़ा है, जबकि गर्म मौसम ने एयर कंडीशनर के माध्यम से कूलिंग लोड को बढ़ा दिया है।

- जलविद्युत पर प्रभाव:** बारिश की कमी के कारण जुलाई में जलविद्युत उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष 14% की गिरावट आई, जिससे समग्र आपूर्ति घटा और गंभीर हो गया।
- कोयले के स्टॉक में गिरावट:** तापीय (थर्मल) बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक घटकर 26.7 मिलियन टन (8.5 दिनों के संचालन के बराबर) रह गया, जिसमें 58 संयंत्र आवश्यक इन्वेंट्री के 25% से कम के गंभीर स्तर पर चल रहे थे।
- आपूर्ति-पक्ष के उपाय:** राज्य के स्वामित्व वाली खनन कंपनियों ने दैनिक उत्पादन 35% बढ़ाकर 1.83 मिलियन टन कर दिया और थर्मल प्लांट इन्वेंट्री को फिर से बनाने के लिए रेलवे रैक लोड को बढ़ाकर 444 प्रतिदिन कर दिया।
- शाम के पीक आवर्स की संवेदनशीलता:** दिन के समय बिजली की जरूरतों को सौर उत्पादन से समर्थन मिलता है, लेकिन गैर-सौर शाम के पीक आवर्स के दौरान आपूर्ति में कमी आती है जब कोयला आधारित संयंत्रों पर पूरा बोझ पड़ता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- पीक पावर डिमांड (चरम बिजली मांग):** किसी दिए गए क्षण में पूरे राष्ट्रीय ग्रिड में कुल बिजली की उच्चतम खपत, जिसे गीगावाट (GW) में मापा जाता है।
- क्रिटिकल कोल स्टॉक (गंभीर कोयला स्टॉक):** ऐसी स्थिति जहां एक थर्मल पावर प्लांट दैनिक परिचालन निरंतरता के लिए आवश्यक अपने मानक आरक्षित स्टॉक का 25% से भी कम रखता है।
- ग्रिड स्टेबिलिटी (ग्रिड स्थिरता):** उतार-चढ़ाव वाली मांग के तहत ब्लैकआउट के जोखिम को रोकने के लिए विद्युत नेटवर्क में निरंतर आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) और वोल्टेज स्तर का रखरखाव।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- प्रविष्टि 38, सूची III (समवर्ती सूची):** भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत बिजली एक साझा विषय है, जो केंद्र और राज्यों दोनों पर जिम्मेदारी डालता है।
- विद्युत अधिनियम, 2003:** उत्पादन, पारेषण (ट्रांसमिशन), वितरण और ऊर्जा व्यापार को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून; केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा केंद्रीय नियामक निगरानी अनिवार्य करता है।
- खान और खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम, 1957:** राज्यों में कोयला खनन पट्टों, कैप्टिव आवंटन और संसाधन विकास को नियंत्रित करने वाला ढांचा।
- राष्ट्रीय विद्युत नीति (NEP):** ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्षमता वृद्धि, नवीकरणीय एकीकरण और रणनीतिक कोयला भंडार प्रबंधन का मार्गदर्शन करती है।

निष्कर्ष

बिजली की मांग में अचानक उछाल भारत में मौसम के पैटर्न, कृषि और ऊर्जा सुरक्षा के बीच नाजुक संबंध को दर्शाता है। यद्यपि उच्च प्रेषण स्तर और दिन के समय की सौर क्षमताएं तत्काल संरचनात्मक संकट को रोकती हैं, लेकिन

दीर्घकालिक बिजली प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण समाधानों को मजबूत करना और मौसमी कोयला रसद (लॉजिस्टिक्स) में सुधार करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** शासन (गवर्नेंस), वैधानिक निकाय (CEA, CERC), अंतरराज्यीय ऊर्जा प्रबंधन।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (बुनियादी ढांचा: ऊर्जा), कृषि (सिंचाई और जल संसाधन), ऊर्जा सुरक्षा, बिजली प्रणालियों पर पर्यावरणीय प्रभाव।
- **निबंध:** जलवायु परिवर्तन, भूजल स्तर में गिरावट और ऊर्जा सुरक्षा के बीच अंतर-संबंध।

2. हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब भर में तेल सुविधाओं पर हमला किया: पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **सीमा पार हमले:** तेहरान समर्थित हूती बलों ने सऊदी के चार दक्षिणी शहरों—खमीस मुशैत, आभा, नजरान और जाजान—को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू किए।
- **ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला:** हमलों के कारण जाजान के रिफाइनरी-पावर प्लांट कॉम्प्लेक्स और आभा में एक तेल वितरण केंद्र में आग लग गई, जिसमें 70 से अधिक लोग घायल हो गए।
- **विस्थापन संकट:** यमन के पश्चिमी तट पर भीषण लड़ाई के कारण तीन दिनों के भीतर 18,500 से अधिक लोग विस्थापित हो गए।
- **समुद्री तनाव:** ईरान के IRGC ने बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य के पास एक मानवरहित अमेरिकी पनडुब्बी (सबमर्सिबल) को जप्त करने का दावा किया, जिससे संकीर्ण समुद्री मार्गों (चोकपॉइंट) की सुरक्षा का खतरा बढ़ गया।
- **अमेरिकी प्रतिबंध:** अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने माहान एयर और विदेशी मध्यस्थों सहित ईरान के विमानन क्षेत्र को निशाना बनाते हुए 36 नए प्रतिबंध जारी किए।
- **लाल सागर नाकाबंदी का खतरा:** युद्धविराम के टूटने से लाल सागर से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय जहाजों के खिलाफ हूती विद्रोहियों की धमकियां फिर से शुरू हो गईं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य:** लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला एक रणनीतिक समुद्री मार्ग (चोकपॉइंट), जो वैश्विक कच्चे तेल और व्यापार पारगमन के लिए महत्वपूर्ण है।
- **गैर-राज्य सशस्त्र कलाकार (नॉन-स्टेट आर्म्ड एक्टर्स):** औपचारिक राज्य नियंत्रण से स्वतंत्र रूप से काम करने वाले समूह जिनके पास क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता को प्रभावित करने वाली सैन्य क्षमताएं होती हैं।
- **एकतरफा प्रतिबंध (यूनिलेटरल सेक्शंस):** किसी स्पष्ट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जनादेश के बिना किसी व्यक्तिगत देश द्वारा राज्य या निजी संस्थाओं को निशाना बनाकर लगाए गए प्रतिबंधात्मक आर्थिक उपाय।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **UNCLOS (अनुच्छेद 38 और पारगमन मार्ग का अधिकार):** अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य के माध्यम से निरंतर नेविगेशन की गारंटी देता है, जो बाब-अल-मंडेब के माध्यम से पारगमन अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2216:** यमनी शांति को खतरे में डालने वाले प्रमुख हूती नेतृत्व वाली संस्थाओं के खिलाफ लक्षित प्रतिबंध और हथियार बाढ़बंदी लागू करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (जेनेवा कन्वेंशन):** सशस्त्र संघर्ष के दौरान नागरिक आबादी और आवश्यक ऊर्जा या जल बुनियादी ढांचे की सख्त सुरक्षा का जनादेश देता है।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51:** संप्रभु क्षेत्र पर सशस्त्र हमलों के जवाब में व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षण के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता देता है।

निष्कर्ष

सऊदी ऊर्जा सुविधाओं और समुद्री गलियारों पर बढ़ते हमले पश्चिम एशियाई स्थिरता में गंभीर नाजुकता को रेखांकित करते हैं। निरंतर शत्रुता वैश्विक ऊर्जा बाजारों को खतरे में डालती है, आवश्यक शिपिंग चैनलों को अस्थिर करती है, और मानवीय कठिनाई को बढ़ाती है, जिससे व्यापक आर्थिक प्रभाव को रोकने के लिए राजनयिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों/राजनीति का प्रभाव।
- **जीएस पेपर III:** सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन; बुनियादी ढांचा (ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन)।
- **स्थान फोकस:** पश्चिम एशिया का भौगोलिक मानचित्रण (लाल सागर, बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य, जाजान, आभा, नजरान, साना)।

3. ओडिशा में पाए गए पांच छोटे ओरंगुटान: विदेशी वन्यजीव तस्करी का संदेह

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **ओडिशा में असामान्य खोज:** ओडिशा के बालासोर जिले के भोगराई स्थित बादापई गांव के जंगल के पास 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई वाले पांच बाल ओरंगुटान को बचाया गया।
- **तस्करी गिरोह का संदेह:** वन अधिकारियों ने दक्षिण-पूर्व एशिया को भारत से जोड़ने वाले पारिस्थितिक गलियारों की कमी के कारण प्राकृतिक प्रवास की संभावना को खारिज कर दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट द्वारा मानव-प्रेरित अवैध तस्करी की ओर इशारा मिलता है।

- **WCCB जांच:** एक बहु-विषयक केंद्रीय एजेंसी, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर तस्करी नेटवर्क का पता लगाने और आसपास के वन क्षेत्रों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने के लिए जांच शुरू की है।
- **पुनर्वास योजनाएं:** बचाए गए चार बच्चे पशु चिकित्सा देखरेख में स्वस्थ बताए गए हैं और औपचारिक प्रक्रियाओं के बाद उन्हें भुवनेश्वर के नंदनकानन प्राणी उद्यान में स्थानांतरित किए जाने की उम्मीद है।
- **पारिस्थितिक प्रोफ़ाइल:** ओरंगुटान एशिया के एकमात्र महान वानर (ग्रेट एप्स) हैं और पृथ्वी पर सबसे बड़े पेड़ पर रहने वाले (वृक्षवासी) स्तनधारी हैं, जो विशेष रूप से बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षावनों के मूल निवासी हैं।
- **संरक्षण संकट:** गंभीर निवास स्थान के नुकसान, शिकार और अवैध पालतू व्यापार के कारण ओरंगुटान की तीनों प्रजातियां (बोर्नियन, सुमात्रा और तपनौली) IUCN रेड लिस्ट में अति-संकटग्रस्त (Critically Endangered) के रूप में वर्गीकृत हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **वृक्षवासी स्तनधारी (Arboreal Mammals):** वे जानवर जो अपने जीवन चक्र का अधिकांश हिस्सा पेड़ों पर बिताते हैं, जो विशेष रूप से पेड़ों की छतरी (कैनोपी) में घूमने और भोजन की तलाश के लिए अनुकूलित होते हैं।
- **विदेशी प्रजातियां (Exotic Species):** गैर-देशी पशु या पौधे की प्रजातियां जिन्हें मानवीय गतिविधियों या अवैध व्यापार मार्गों के माध्यम से उनके प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र से बाहर लाया जाता है।
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB):** भारत में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक बहु-विषयक निकाय।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** भारतीय अधिकार क्षेत्र के भीतर CITES-सूचीबद्ध विदेशी प्रजातियों के अनुपालन को विनियमित और लागू करने के लिए अनुसूची IV को शामिल करने हेतु 2022 में संशोधित।
- **CITES (परिशिष्ट I):** ओरंगुटान को विलुप्त होने के खतरों से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार को प्रतिबंधित करते हुए परिशिष्ट I के तहत सूचीबद्ध करता है।
- **PARIVESH / HP-CITIES पंजीकरण:** भारत के भीतर अवैध कब्जे की निगरानी के लिए केंद्रीय पोर्टल पर मालिकों या सुविधाओं द्वारा विदेशी जीवित नमूनों के वैधानिक पंजीकरण को अनिवार्य करता है।
- **अनुच्छेद 48A और 51A(g):** संवैधानिक प्रावधान जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देते हैं, और नागरिकों पर जंगली जीवों की रक्षा करने और जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाने का मौलिक कर्तव्य डालते हैं।

निष्कर्ष

गैर-देशी महान वानरों (ग्रेट एप्स) का अवैध पारगमन समुद्री और अंतर्देशीय चैनलों के माध्यम से संचालित होने वाले अंतर-राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी नेटवर्क द्वारा उत्पन्न उभरती चुनौतियों को रेखांकित करता है। सीमा निगरानी को मजबूत

करना, विदेशी पालतू जानवरों के लिए सख्त डिजिटल रजिस्ट्री मानदंडों को लागू करना, और बहु-एजेंसी समन्वय को बढ़ाना वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से निपटने के लिए अनिवार्य कदम हैं।

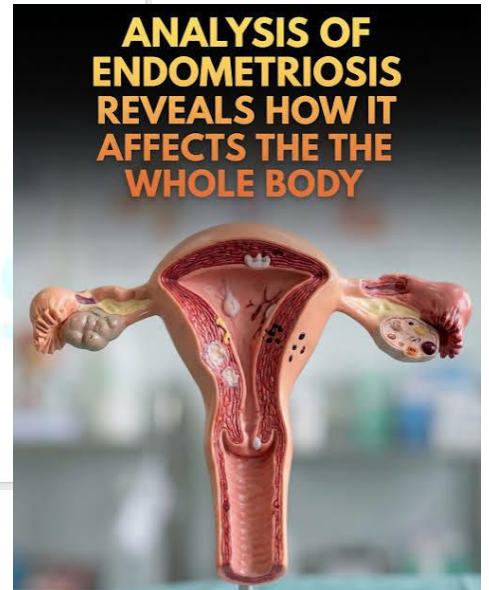
यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** पर्यावरण और पारिस्थितिकी (जैव विविधता संरक्षण, IUCN स्थिति, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, CITES ढांचा, अवैध वन्यजीव तस्करी)।
- **जीएस पेपर III:** आंतरिक सुरक्षा (सीमा पार तस्करी नेटवर्क, संगठित अपराध-तस्करी संबंध)।
- **प्रजाति फोकस:** ओरंगुटान (मूल निवास स्थान, IUCN स्थिति, कैनोपी फैलावकर्ता के रूप में पारिस्थितिक भूमिका)।

4. ओरिएंटेड जीनोम अध्ययन से खुलासा: एंडोमेट्रियोसिस आनुवंशिक हो सकता है

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **पहला भारतीय जीनोम अध्ययन:** 'साइंटिफिक रिपोर्ट्स' में प्रकाशित एंडोमेट्रियोसिस पर भारत के उद्घाटन जीनोम-व्यापी एसोसिएशन अध्ययन ने भारतीय महिलाओं के बीच आनुवंशिक संवेदनशीलता की पुष्टि की, जिससे इस स्थिति से जुड़े 21 संभावित आनुवंशिक क्षेत्रों की पहचान की गई।
- **दक्षिण एशियाई जीनोमिक्स में समावेशिता:** आईसीएमआर-राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (NIRRH), मुंबई के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में यह अध्ययन वैश्विक आनुवंशिक अनुसंधान में दक्षिण एशियाई आबादी के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करता है, जो पहले मुख्य रूप से यूरोपीय डेटासेट पर निर्भर था।
- **बहु-केंद्र सहयोग:** अनुसंधान में पूरे भारत के 18 केंद्र शामिल थे, जिन्होंने ECGRI पहल के तहत एक व्यापक नैदानिक और जीनोमिक डेटासेट बनाने के लिए सर्जिकल, क्लिनिकल और प्रयोगशाला टीमों को संयोजित किया।
- **शुरुआती निदान का मार्ग:** हालांकि यह तत्काल नैदानिक परीक्षण के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन इन जैविक मार्गों की पहचान जनसंख्या-विशिष्ट जोखिम भविष्यवाणी मॉडल, लक्षित उपचारों और प्रारंभिक नैदानिक उपकरणों को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार रेखा प्रदान करती है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ:** एंडोमेट्रियोसिस विश्व स्तर पर प्रजनन आयु की लगभग 10% महिलाओं को प्रभावित करता है, लेकिन गंभीर मासिक धर्म के दर्द और पुराने पेल्विक दर्द के सामान्यीकरण या खारिज किए जाने के कारण इसके निदान में नियमित रूप से वर्षों की देरी होती है।



- **वैश्विक नीति संरेखण:** ये निष्कर्ष एंडोमेट्रियोसिस प्रबंधन के लिए अद्यतन दिशा-निर्देशों को तैयार करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा चल रहे प्रयासों के साथ संरेखित होते हैं, जो इसे एक प्राथमिकता वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में मान्यता देते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **एंडोमेट्रियोसिस (Endometriosis):** एक पुरानी स्त्री रोग संबंधी स्थिति जहां गर्भाशय के अस्तर (एंडोमेट्रियम) के समान ऊतक गर्भाशय गुहा के बाहर बढ़ते हैं, जिससे गंभीर श्रोणि (पेल्विक) दर्द, सूजन और संभावित बांझपन होता है।
- **जीनोम-वाइड एसोसिएशन स्टडी (GWAS):** एक अवलोकन संबंधी अनुसंधान दृष्टिकोण जो विशिष्ट बीमारियों से जुड़ी आनुवंशिक विविधताओं की पहचान करने के लिए लोगों के बड़े समूहों के डीएनए के पूर्ण सेट को स्कैन करता है।
- **ECGRI पहल:** भारत में एंडोमेट्रियोसिस क्लिनिकल और जेनेटिक रिसर्च (Endometriosis Clinical and Genetic Research in India) पहल, जिसका उद्देश्य समर्पित जीनोमिक डेटासेट स्थापित करना और दक्षिण एशिया में प्रजनन स्वास्थ्य पर नैदानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाना है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21 (स्वास्थ्य का अधिकार):** सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य और विशिष्ट चिकित्सा देखभाल के मौलिक अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 का बार-बार विस्तार किया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों को लिंग-विशिष्ट पुरानी बीमारियों को संबोधित करने के लिए बाध्य करता है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017:** गैर-संचारी और पुरानी बीमारियों से निपटने के लिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य परिणामों में लैंगिक समानता, और स्वदेशी बायोमेडिकल अनुसंधान में बढ़े हुए निवेश पर जोर देती है।
- **ICMR नैतिक दिशानिर्देश:** मानव प्रतिभागियों से जुड़े बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान को नियंत्रित करते हैं, जिससे सख्त सूचित सहमति, गोपनीयता सुरक्षा और चिकित्सा अनुसंधान लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होता है।
- **CEDAW (अनुच्छेद 12):** भारत द्वारा हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय संधि ढांचा जो राज्य पक्षों को महिलाओं के पूरे जीवन चक्र में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में उनके खिलाफ भेदभाव को खत्म करने का जनादेश देता है।

निष्कर्ष

भारत का पहला जीनोम-व्यापी अध्ययन महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य में व्यवस्थित नैदानिक देरी को संबोधित करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। एक स्वदेशी आनुवंशिक आधार रेखा प्रदान करके, यह शोध एंडोमेट्रियोसिस के पुराने बोझ को संबोधित करने के लिए सटीक नैदानिक उपकरणों, बेहतर चिकित्सीय हस्तक्षेपों और लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों का मार्ग प्रशस्त करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

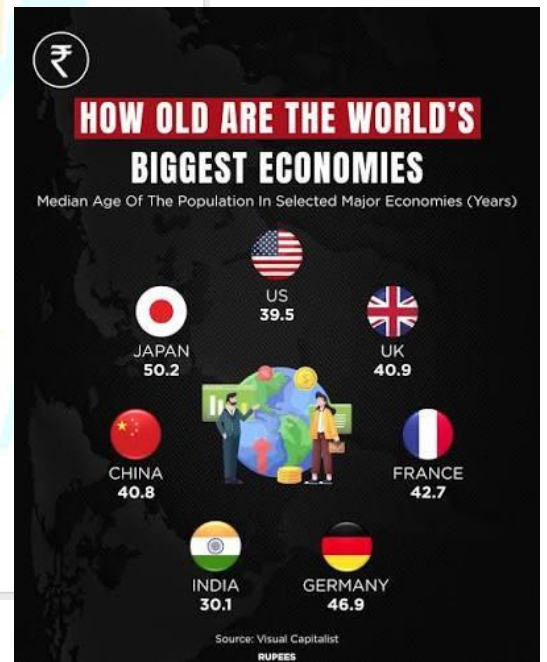
- **जीएस पेपर II:** स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और लिंग से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।
- **जीएस पेपर III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, स्वास्थ्य सेवा में जीनोमिक्स, सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनुसंधान एवं विकास)।

- **प्रमुख फोकस:** मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन जीनोम रिसर्च, जेंडर हेल्थ डिस्पैरिटीज।

5. भारत के युवा दुनिया की बुजुर्ग होती अर्थव्यवस्थाओं को शक्ति प्रदान कर सकते हैं

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जनसांख्यिकी परिवर्तन:** उन्नत अर्थव्यवस्थाएं घटती प्रजनन दर, सिकुड़ते कार्यबल और स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों में श्रम की कमी का सामना कर रही हैं।
- **भारत का रणनीतिक लाभ:** भारत के पास विश्व स्तर पर युवा मानव पूंजी का सबसे बड़ा भंडार है, जिसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के लगभग 45 करोड़ (450 मिलियन) व्यक्ति शामिल हैं।
- **ब्रेन सर्कुलेशन में बदलाव:** "ब्रेन ड्रेन" की पुरानी अवधारणा अब "ब्रेन सर्कुलेशन" में बदल रही है, जहां कुशल प्रवासी प्रेषण (रेमिटेंस), प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के माध्यम से वापस योगदान करते हैं।
- **प्रचुर मात्रा में रेमिटेंस आवक:** भारत को वित्त वर्ष 2025-26 में श्रमिक प्रेषण (रेमिटेंस) में \$110.47 अरब डॉलर से अधिक प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26% की वृद्धि दर्ज करता है।
- **आप्रवासन-विरोधी भावना पर काबू पाना:** गंतव्य देशों में आप्रवासन के बढ़ते राजनीतिक विरोध को कम करने के लिए नैतिक गतिशीलता ढांचे और G2G (सरकार-से-सरकार) द्विपक्षीय साझेदारी का विकास करना महत्वपूर्ण है।
- **सर्कुलर मोबिलिटी की रणनीतिक भूमिका:** सिंगापुर का कार्य-परमिट मॉडल या हांगकांग की कुशल-श्रमिक प्रणाली जैसे अस्थायी, संरचित श्रम प्रबंध दीर्घकालिक वैश्विक कौशल गतिशीलता के लिए राजनीतिक रूप से टिकाऊ समाधान प्रदान करते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **डेमोग्राफिक डिविडेंड (जनसांख्यिकी लाभांश):** किसी जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि की संभावना, विशेष रूप से तब जब कार्यशील आयु वर्ग (15 से 64 वर्ष) गैर-कार्यशील आयु वर्ग से बड़ा होता है।
- **ब्रेन सर्कुलेशन (Brain Circulation):** एकतरफा स्थायी प्रवास के स्थान पर प्रवासी के गृह देश और मेजबान राष्ट्रों के बीच कुशल पेशवरों, ज्ञान, पूंजी और प्रौद्योगिकी का दो-तरफा प्रवाह।
- **सर्कुलर मोबिलिटी (Circular Mobility):** औपचारिक, नैतिक और कानूनी श्रम ढांचों के तहत संरचित, गृह और मेजबान देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय श्रमिकों की अस्थायी व आवर्ती आवाजाही।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 19(1)(e) और (g):** भारतीय नागरिकों को भारत में कहीं भी रहने और कानूनी चैनलों के तहत विदेशों में काम करने सहित किसी भी पेशे, व्यापार या व्यवसाय को करने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।
- **उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (Emigration Act, 1983):** विदेशी रोजगार चाहने वाले भारतीय श्रमिकों की भर्ती, उत्प्रवास और कल्याण को नियंत्रित करता है, जिसकी देखरेख प्रवासियों के संरक्षक महानिदेशक (PGE) द्वारा की जाती है।
- **प्रवास और गतिशीलता साझेदारी समझौते (MMPAs):** अवैध प्रवासन को रोकने के साथ-साथ कानूनी श्रम गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे देशों के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय संधियां।
- **ई-माइग्रेट (eMigrate) प्रणाली:** पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करने और विदेशी भारतीय श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा एकीकृत एक डिजिटल पहल।

निष्कर्ष

भारत के विशाल जनसांख्यिकीय अधिशेष को वैश्विक रणनीतिक लाभ में बदलने के लिए मजबूत कौशल प्रमाणन, भाषा प्रशिक्षण और नैतिक गतिशीलता ढांचे की आवश्यकता है। विश्व स्तर पर रोजगार योग्य प्रतिभा के लिए एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में खुद को स्थापित करके, भारत अपनी स्वयं की वित्तीय स्थिरता और वैश्विक राजनयिक पदचिह्न को मजबूत करते हुए विदेशी अर्थव्यवस्थाओं को शक्ति प्रदान कर सकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारतीय प्रवासी, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, द्विपक्षीय समझौते, अंतरराष्ट्रीय संबंध।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (रोजगार, मानव संसाधन विकास, कौशल पूंजी, बुनियादी ढांचा, रेमिटेंस आवक)।
- **निबंध विषय:** जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन; ब्रेन ड्रेन बनाम ब्रेन गेन; वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए स्किल इंडिया।

6. एक संभावित G3 ब्रिक्स (BRICS) पर छाया डाल रहा है

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता:** जबकि ब्रिक्स (BRICS) कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, इसके प्रमुख प्रेरक बल रूस और चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अलग रणनीतिक समायोजन कर रहे हैं।
- **ग्रेट पावर G3 का उद्भव:** अमेरिका, रूस और चीन को शामिल करने वाला एक संभावित त्रिकोणीय वैश्विक निदेशालय व्यापक बहुपक्षीय समूहों को दरकिनार करने और शीत युद्ध के बाद की शक्ति संरचनाओं को रीसेट करने की धमकी देता है।

- **ब्रिक्स में आंतरिक सुसंगतता की चुनौतियाँ:** हालिया विस्तार ने समूह के भीतर मतभेदों को बढ़ा दिया है, जैसा कि पश्चिम एशियाई संघर्षों और होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा के संबंध में तेहरान और अबू धाबी के बीच विपरीत रुख से स्पष्ट है।
- **लेन-देन संबंधी कूटनीति (Transactional Diplomacy):** अमेरिका-चीन वार्ता व्यापार युद्धविराम और प्रौद्योगिकी प्रतिबंधों को जोड़ती है, जबकि अमेरिकी कूटनीति चल रही सैन्य तैयारियों के साथ-साथ पूर्वी यूरोप में शांति चाहती है।
- **त्रिपक्षीय सौदों पर सहयोगियों की चिंताएं:** यूरोपीय और एशियाई सहयोगियों को डर है कि वाशिंगटन, मास्को और बीजिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत से वैश्विक सुरक्षा प्रतिबद्धताएं कमजोर हो सकती हैं।
- **भारत के लिए रणनीतिक पुनर्संरचना:** तीन-कोणीय वैश्विक शक्ति संरचना से संभावित अलगाव से निपटने के लिए, भारत को आंतरिक आर्थिक विकास में तेजी लानी चाहिए, बहुध्रुवीयता को पश्चिम-विरोधी बयानबाजी से अलग करना चाहिए, और ब्रिक्स से परे बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करना चाहिए।

A possible G3 is casting a shadow over BRICS



RAJA MANDALIA
BY C. RAJA MOHAN

WHEN IT comes to the BRICS summit in Delhi this week, BRICS will address several cooperation issues, ranging from agriculture and health to climate change. While BRICS moves slowly, the larger political world around it is changing fast. Even as the forum seeks to counter American dominance of the world, geopolitical driving forces, Russia and China, are exploiting apparent and joint accommodation with the United States.

BRICS summit in Delhi (BRICS summit is less about the lengthy declaration it will produce. The last summit, in Rio de Janeiro, based on a declaration of 22 paragraphs, did not end the world war. In Delhi, the focus will be on cooperation. President Modi and President Xi Jinping, Russia's Vladimir Putin and French President Emmanuel Macron, will be present. The Indian media will focus on Prime Minister Narendra Modi's bilateral meetings. Expect particular attention to his potential meeting with Xi, whose visit is scheduled for the first time since 2013. The two leaders are expected to finalise the boundary situation and most economic relations.

BRICS may be the goal of small things, but its problems with big issues are becoming harder. Its expansion has made it less coherent. The line was once a clear divide between Tehran and Abu Dhabi, between the grouping's members and the world's superpowers. BRICS, however, has become a loose coalition of states. The latest addition, Egypt, which has suffered from internal strife and disruption in commerce through the Strait of Hormuz, is a stark reminder of the problems of BRICS. BRICS expansionism has been a failure. BRICS expansionism has been a failure. BRICS expansionism has been a failure.

Meanwhile, engagement among the US, China and Russia is heating up. The US and Russia are in a race to the bottom. The US and Russia are in a race to the bottom. The US and Russia are in a race to the bottom.



BRICS SUMMIT IN DELHI

BRICS summit in Delhi (BRICS summit is less about the lengthy declaration it will produce. The last summit, in Rio de Janeiro, based on a declaration of 22 paragraphs, did not end the world war. In Delhi, the focus will be on cooperation. President Modi and President Xi Jinping, Russia's Vladimir Putin and French President Emmanuel Macron, will be present. The Indian media will focus on Prime Minister Narendra Modi's bilateral meetings. Expect particular attention to his potential meeting with Xi, whose visit is scheduled for the first time since 2013. The two leaders are expected to finalise the boundary situation and most economic relations.

BRICS may be the goal of small things, but its problems with big issues are becoming harder. Its expansion has made it less coherent. The line was once a clear divide between Tehran and Abu Dhabi, between the grouping's members and the world's superpowers. BRICS, however, has become a loose coalition of states. The latest addition, Egypt, which has suffered from internal strife and disruption in commerce through the Strait of Hormuz, is a stark reminder of the problems of BRICS. BRICS expansionism has been a failure. BRICS expansionism has been a failure. BRICS expansionism has been a failure.

Meanwhile, engagement among the US, China and Russia is heating up. The US and Russia are in a race to the bottom. The US and Russia are in a race to the bottom. The US and Russia are in a race to the bottom.

The idea of a "G3" will seem unlikely, but Trump has shown interest in a kind of "G3" in the past. In 2017, he announced a "G3" of the United States, China and India. This was a response to the "G2" of the United States and China. The "G3" was a response to the "G2" of the United States and China. The "G3" was a response to the "G2" of the United States and China.

A G3 global directorate is not impossible. Russia and China are more than ever and share concerns about the US. But both also seek a reasonable relationship with Washington. For all their anti-Western rhetoric, India has a place at the high table with the US.

Russia was once part of the BRICS group of nations. Russia was once part of the BRICS group of nations. Russia was once part of the BRICS group of nations. Russia was once part of the BRICS group of nations.

The BRICS summit in Delhi is a landmark event. The BRICS summit in Delhi is a landmark event. The BRICS summit in Delhi is a landmark event. The BRICS summit in Delhi is a landmark event.

The Indian Express, 09 September 2026
https://epaper.indianexpress.com/c/38945781

आवश्यक परिभाषाएं

- **G3 (ग्रेट पावर डायरेक्टरेट):** तीन प्रमुख शक्तियों—संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन—के बीच सीधे रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संरक्षण का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अनौपचारिक भू-राजनीतिक अवधारणा।
- **बहुध्रुवीयता (Multipolarity):** वैश्विक शक्ति का एक ऐसा वितरण जिसमें दो से अधिक राष्ट्र-राज्यों के पास लगभग समान मात्रा में सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव होता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):** बाहरी महाशक्तियों पर अत्यधिक निर्भर हुए बिना, अपने राष्ट्रीय हितों और विदेश नीति के उद्देश्यों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने की किसी राज्य की क्षमता।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत संबंध बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कानून व संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देता है।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर (अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 24):** सदस्य देशों की संप्रभु समानता स्थापित करता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निहित करता है।
- **UNCLOS (नेविगेशन की स्वतंत्रता):** अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों को नियंत्रित करता है जो होर्मुज जलडमरूमध्य सहित महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय नौवहन जलडमरूमध्य के माध्यम से निर्बाध मार्ग सुनिश्चित करते हैं।
- **विदेश व्यापार नीति (FTP) ढांचा:** बदलते वैश्विक शिल्कों के बीच द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी, निर्यात नियंत्रण और रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को प्रबंधित करने के लिए कानूनी तंत्र प्रदान करता है।

निष्कर्ष

अमेरिका, चीन और रूस द्वारा संचालित त्रि-ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का संभावित उद्भव मध्यम शक्तियों और ब्रिक्स जैसे व्यापक बहुपक्षीय समूहों के लिए एक संरचनात्मक चुनौती पेश करता है। भारत का दीर्घकालिक राजनयिक प्रभाव अपनी घरेलू आर्थिक शक्ति को बढ़ाने, द्विपक्षीय संबंधों को व्यावहारिक रूप से प्रबंधित करने और मिनी-लैटरल मंचों पर रणनीतिक साझेदारी में विविधता लाने पर निर्भर करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

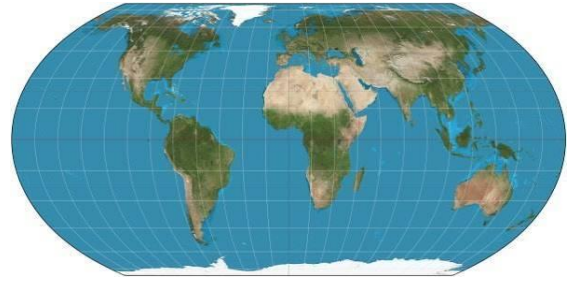
- **जीएस पेपर II:** अंतरराष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों/राजनीति का प्रभाव)।
- **जीएस पेपर III:** आंतरिक सुरक्षा और रणनीतिक अध्ययन (आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन, रणनीतिक स्वायत्तता, समुद्री गलियारा सुरक्षा)।
- **प्रमुख फोकस:** ब्रिक्स विस्तार, बहुध्रुवीयता बनाम त्रिकोणीय निदेशालय (G3), भारत की विदेश नीति का गणित।

7. एक सपाट नक्शा पृथ्वी को सटीक रूप से दर्शाने में क्यों विफल रहता है

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **संयुक्त राष्ट्र द्वारा इक्वल अर्थ मैप को अपनाना:** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सटीक भू-भाग अनुपातों को प्रस्तुत करने के लिए 2018 के 'इक्वल अर्थ' (Equal Earth) डिज़ाइन की ओर स्थानांतरित होने का एक प्रस्ताव अपनाया, जो विशेष रूप से अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण (Global South) की ऐतिहासिक विकृतियों को ठीक करता है।
- **सपाट प्रक्षेपणों की सीमाएं:** एक त्रि-आयामी गोले को द्वि-आयामी सपाट सतह पर प्रक्षेपित करने में स्वाभाविक रूप से आकार, क्षेत्रफल, दूरी या दिशा में ज्यामितीय समझौते (ट्रेड-ऑफ) शामिल होते हैं।
- **मर्केटर प्रोजेक्शन और औपनिवेशिक पूर्वाग्रह:** 1569 में जेर्हार्डस मर्केटर द्वारा पेश किया गया, 'कॉन्फॉर्मल मर्केटर' लेआउट समुद्री नौवहन के लिए कंपास दिशाओं को सुरक्षित रखता है लेकिन उच्च-अक्षांश क्षेत्रों को अत्यधिक बड़ा करके दिखाता है, जिससे ग्रीनलैंड अफ्रीका के समान आकार का दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका उससे 14 गुना बड़ा है।
- **मानचित्र प्रक्षेपण का वर्गीकरण:**
 - **कॉन्फॉर्मल प्रोजेक्शन (मर्केटर):** स्थानीय आकृतियों और कोणों को सुरक्षित रखते हैं लेकिन उच्च-अक्षांश सतह क्षेत्रों को विकृत करते हैं।
 - **इक्वल-एरिया प्रोजेक्शन (इक्वल अर्थ, गॉल-पीटर्स):** सापेक्ष भू-भाग आकारों को बनाए रखते हैं, जो उन्हें विषयगत, सांख्यिकीय और जनसंख्या मानचित्रण के लिए आदर्श बनाते हैं।
 - **कॉम्प्रोमाइज प्रोजेक्शन (रॉबिन्सन, विकेल ट्रिपेल):** सामान्य विश्व मानचित्रों के लिए आकार, क्षेत्रफल और दूरी में विकृतियों को संतुलित करते हैं।

- **अजीमुथल (Azimuthal) प्रोजेक्शन:** ग्लोब को एक केंद्रीय बिंदु से एक सपाट सतह पर प्रक्षेपित करते हैं, जो ध्रुवीय मानचित्रण और विमानन मार्गों के लिए अनुकूलतम हैं।



- **शैक्षणिक और नीतिगत बदलाव:** गैर-बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय निकायों को समान-क्षेत्रफल वाले नक्शों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके कार्टोग्राफी में "औपनिवेशिक धारणाओं" का मुकाबला करना है।
- **विषयगत डेटा के लिए उपयोगिता:** इक्वल अर्थ मैप जैसे समान-क्षेत्रफल वाले डिज़ाइन भारतीय उपमहाद्वीप और वैश्विक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वैश्विक जलवायु प्रभावों, भूमि आवरण और जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण करने के लिए सटीक स्थानिक आधार रेखाएं प्रदान करते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **मैप प्रोजेक्शन (मानचित्र प्रक्षेपण):** एक त्रि-आयामी गोलाकार सतह का द्वि-आयामी सपाट सतह पर गणितीय रूपांतरण।
- **कंफॉर्मल मैप:** एक मानचित्र प्रक्षेपण जो भौगोलिक क्षेत्र के पैमाने को विकृत करते हुए स्थानीय कोणों, आकृतियों और रंग लाइनों (निरंतर कंपास दिशा) को सुरक्षित रखता है।
- **इक्वल-एरिया प्रोजेक्शन:** एक ऐसा मानचित्र प्रक्षेपण जो आकार में थोड़ी विकृति की कीमत पर पूरे ग्लोब में भू-भागों के सही सापेक्ष अनुपातों को बनाए रखता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022:** सटीक राष्ट्रीय मानचित्रण सुनिश्चित करने के लिए भारत में भू-स्थानिक डेटा निर्माण, मानचित्र मानकों और स्थानिक डेटा बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करती है।
- **भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) का ढांचा:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित आधिकारिक राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी, जो मानक कार्टोग्राफिक प्रोटोकॉल और डेटम संदर्भों द्वारा शासित होती है।
- **संयुक्त राष्ट्र कार्टोग्राफिक दिशानिर्देश:** आधिकारिक भौगोलिक प्रतिनिधित्व पर संयुक्त राष्ट्र निकायों और अंतरराष्ट्रीय संधियों का मार्गदर्शन करने वाले मानकीकृत अंतरराष्ट्रीय कार्टोग्राफिक अभ्यास।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि कार्टोग्राफी व सीमा परिभाषाओं सहित अंतरराष्ट्रीय संगठन के मानकों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष

गणितीय समझौतों के बिना कोई भी एकल सपाट नक्शा पृथ्वी की सतह का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। इक्वल अर्थ मैप जैसे समान-क्षेत्रफल वाले प्रक्षेपणों की ओर झुकाव यूरोपीय-केंद्रित दृश्य पूर्वाग्रहों को खत्म करने के व्यापक प्रयास को दर्शाता है, जो वैश्विक नीति, शिक्षा और भौगोलिक विश्लेषण के लिए एक सटीक स्थानिक आधार रेखा प्रदान करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर I:** भौतिक भूगोल (मानचित्र कला/कार्टोग्राफी, मानचित्र प्रक्षेप के मूल सिद्धांत, पृथ्वी का आकार और निर्देशांक)।
- **जीएस पेपर II:** अंतरराष्ट्रीय संगठन (संयुक्त राष्ट्र संकल्प ढांचा, सॉफ्ट पावर, ज्ञान प्रणालियों का वि-औपनिवेशीकरण)।
- **जीएस पेपर III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी (भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, स्थानिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग)।

8. बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्टिंग के साथ भारत की समस्या: अंदर की बात

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **मंत्रालयों को NHRC का नोटिस:** राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने पेड इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जो उपयोगकर्ताओं को बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) वितरित करने वाले टेलीग्राम चैनलों पर पुनर्निर्देशित (रीडायरेक्ट) करते हैं।
- **अनिवार्य रिपोर्टिंग दायित्व:** पोक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा 19 प्लेटफ़ॉर्म और CSAM के बारे में जानने वाले व्यक्तियों को इसे आंतरिक रूप से संभालने के बजाय सीधे विशेष किशोर पुलिस या स्थानीय इकाइयों को रिपोर्ट करने के लिए सख्ती से बाध्य करती है।
- **मध्यवर्ती (Intermediary) स्थिति का पुनर्मूल्यांकन:** NHRC ने इस बात पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं कि क्या कैप्शन उत्पन्न करने, सहभागिता को अनुकूलित करने और सामग्री का मुद्र्रीकरण करने के लिए AI प्रणालियों का उपयोग करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आईटी नियम, 2021 के तहत निष्क्रिय मध्यवर्ती बने रहते हैं।
- **CyberTipline रिपोर्टों की कम रूपांतरण दर:** भारत को 2025 में लगभग 19 लाख (1.9 मिलियन) CyberTipline रिपोर्ट प्राप्त हुईं, लेकिन बहु-स्तरीय एजेंसी पासिंग के कारण केवल एक छोटा हिस्सा ही कार्रवाई योग्य पुलिस जांच में बदल पाया।

- **जांच में परिचालन संबंधी बाधाएं:** मुख्य चुनौतियों में एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर सामग्री की उत्पत्ति की पहचान करना, पीड़ित की आयु का सत्यापन करना, AI-जनरेटेड CSAM से निपटना और डिवाइस के स्वामित्व को स्थापित करना शामिल है।
- **साक्ष्य मानक आवश्यकताएं:** पोक्सो विशेष अदालतों में सफल अभियोजन के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) की धारा 63 के तहत प्रमाणित डिजिटल साक्ष्य श्रृंखलाओं के सख्त रखरखाव की आवश्यकता होती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **CSAM (बाल यौन शोषण सामग्री):** किसी नाबालिग या नाबालिग प्रतीत होने वाले व्यक्ति से शामिल स्पष्ट यौन आचरण का कोई भी दृश्य, श्रव्य या डिजिटल चित्रण।
- **CyberTipline:** NCMEC (अमेरिका) द्वारा संचालित एक केंद्रीकृत अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग तंत्र जो दुनिया भर में क्षेत्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संदिग्ध ऑनलाइन बाल शोषण पर स्वचालित अलर्ट भेजता है।
- **डिजिटल मध्यवर्ती (Digital Intermediary):** वह इकाई जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करती है, संग्रहीत करती है, या प्रसारित करती है या उस रिकॉर्ड के संबंध में सेवाएं प्रदान करती है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **धारा 19, पोक्सो अधिनियम, 2012:** बाल यौन शोषण अपराधों की किसी भी आशंका या ज्ञान की विशेष कानून प्रवर्तन इकाइयों को अनिवार्य रिपोर्टिंग का निर्देश देती है।
- **धारा 67B, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** ऑनलाइन यौन स्पष्ट कृत्यों में बच्चों का चित्रण करने वाली सामग्री को प्रकाशित करने, प्रसारित करने या ब्राउज़ करने को अपराध बनाती है।
- **धारा 63, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023:** इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को नियंत्रित करती है और कस्टडी की एक अटूट डिजिटल श्रृंखला साबित करने के लिए औपचारिक प्रमाणन की आवश्यकता होती है।
- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 39(f):** व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देते हैं और राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि बच्चों को शोषण और नैतिक/भौतिक परित्याग से बचाया जाए।

निष्कर्ष

ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए बाहरी अलर्ट पर निष्क्रिय निर्भरता से हटकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सक्रिय कानूनी जवाबदेही लागू करने की आवश्यकता है। डिजिटल क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा के लिए AI क्षमता के साथ मध्यवर्ती देयता का संरेखण, बहु-एजेंसी सत्यापन को सरल बनाना, और साइबर-जांच बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** वैधानिक निकाय (NHRC), शासन (गवर्नेंस), संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।

- **जीएस पेपर III:** साइबर सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन।
- **प्रमुख फोकस:** पोक्सो प्रवर्तन, मध्यवर्ती देयता (आईटी नियम, 2021), CyberTipline की सीमाएं।

9. गुजरात के BAPS संप्रदाय की जड़ें और उदय: ऐतिहासिक विकास और वैश्विक पदचिह्न

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **पेरिस एफिल टॉवर विवाद:** बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) को पेरिस में उस समय विवाद का सामना करना पड़ा जब एफिल टॉवर के कर्मचारियों ने इन आरोपों का विरोध किया कि संप्रदाय के साधुओं के एक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान महिला कर्मचारियों को दूर हटने के लिए कहा गया था, जिसके बाद BAPS की ओर से औपचारिक माफी जारी की गई।
- **स्वामीनारायण संप्रदाय की उत्पत्ति:** गुजरात में 1802 में सहजानंद स्वामी (जन्म 1781 में अयोध्या के पास घनश्याम पांडे के रूप में) द्वारा स्थापित, जिन्हें स्वामी रामानंद द्वारा भक्ति परंपरा में दीक्षित किया गया था।
- **BAPS का गठन:** शास्त्री महाराज ने वडताल पैरिश से अलग होने के बाद 1907 में बोचासन गांव (आणंद जिला, गुजरात) में BAPS की स्थापना की, जो स्वामीनारायण संप्रदाय के सबसे बड़े पृथक समूह के रूप में विकसित हुआ।
- **विशिष्ट मठवासी अभ्यास:** BAPS साधु सख्त ब्रह्मचर्य और पूजा तथा व्यक्तिगत बातचीत के दौरान महिलाओं से अनुष्ठानिक पृथक्करण का पालन करते हैं, यद्यपि कुल वैश्विक अनुयायियों में 50% से अधिक महिलाएं शामिल हैं।
- **वैश्विक उपस्थिति और वास्तुकला:** BAPS ने विश्व स्तर पर 1,300 से अधिक मंदिरों की स्थापना की है, जिनमें गांधीनगर, नई दिल्ली, रॉबिंसविले (न्यू जर्सी), अबू धाबी में प्रमुख अक्षरधाम परिसर और पेरिस में फ्रांस का पहला प्रमुख BAPS मंदिर शामिल है।
- **प्रवासी जुड़ाव और सामाजिक कार्य:** इस संप्रदाय का प्रसार पूर्वी अफ्रीका, यूके और अमेरिका में गुजराती प्रवासियों के प्रवासन के समानांतर रहा है, जबकि यह आपदा राहत कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रहता है, जैसे 2001 के कच्छ भूकंप के बाद का पुनर्वास कार्य।

आवश्यक परिभाषाएं

- **स्वामीनारायण संप्रदाय:** 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गुजरात में स्थापित वैष्णव हिंदू धर्म के भीतर एक सामाजिक-धार्मिक आंदोलन, जो भक्ति आंदोलन में निहित है और नैतिक पवित्रता, सामाजिक सुधार तथा भक्ति पर जोर देता है।
- **BAPS (बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था):** स्वामीनारायण हिंदू धर्म के भीतर एक प्रमुख सामाजिक-आध्यात्मिक संगठन, जिसे आधिकारिक तौर पर 1907 में शास्त्री महाराज द्वारा अक्षर-पुरुषोत्तम सिद्धांत के आधार पर स्थापित किया गया था।

- **भक्ति आंदोलन:** मध्यकालीन भारत में एक सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन जिसने व्यक्तिगत ईष्ट के प्रति व्यक्तिगत भक्ति, सामाजिक समानता और जाति व लिंग की सीमाओं से परे सुलभ आध्यात्मिक प्रथाओं को बढ़ावा दिया।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 25:** सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 26:** धार्मिक संप्रदायों को धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना करने और संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 15:** केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जो अनुच्छेद 26 के तहत संप्रदायिक अधिकारों के साथ संतुलन बनाता है।
- **अनुच्छेद 51A(f):** प्रत्येक भारतीय नागरिक पर देश की सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और उसका संरक्षण करने का मौलिक कर्तव्य डालता है।

निष्कर्ष

BAPS संप्रदाय अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत और वास्तुशिल्प शिल्प को ले जाते हुए भारत की भक्ति परंपराओं के वैश्विक विस्तार को दर्शाता है। चूंकि धार्मिक संप्रदाय वैश्विक सार्वजनिक स्थानों के साथ बातचीत करते हैं, इसलिए सौहार्दपूर्ण सॉफ्ट पावर राजनयिक संबंधों के लिए पारंपरिक मठवासी कोड को समकालीन अंतरराष्ट्रीय लिंग और श्रम मानदंडों के साथ संतुलित करना आवश्यक बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर I:** भारतीय संस्कृति (भक्ति आंदोलन, मंदिर वास्तुकला, भारतीय प्रवासी और सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन)।
- **जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान (मौलिक अधिकार: धार्मिक स्वतंत्रता बनाम अनुच्छेद 15, 25 और 26 के तहत गैर-भेदभाव ढांचा)।
- **प्रमुख फोकस:** सांस्कृतिक कूटनीति, स्वामीनारायण परंपराएं, भारतीय धार्मिक संप्रदायों का अंतरराष्ट्रीय पदचिह्न।

10. जीडीपी (GDP) पर हंगामे से आश्चर्यचकित: पद्धतियां और डेटा पहले से ही

सार्वजनिक

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **जीडीपी डेटा पर MoSPI का स्पष्टीकरण:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि नई जीडीपी श्रृंखला के संबंध में आलोचनाएं अकारण हैं, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पद्धति और अंतर्निहित तकनीकी डेटा शुरुआती 2026 से ही सार्वजनिक डोमेन में मौजूद हैं।

- **वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1) के विकास दर आंकड़े:** 2026-27 के लिए पहली तिमाही की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8% रही, जो बाजार की शुरुआती उम्मीदों से अधिक थी और इसने अर्थशास्त्रियों के बीच अनुमान पद्धतियों को लेकर बहस छेड़ दी।
- **प्रत्यक्ष अनौपचारिक क्षेत्र डेटा में बदलाव:** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) और असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) सहित प्रत्यक्ष अनुभवजन्य सर्वेक्षणों के साथ पुराने प्रॉक्सी-आधारित अनुमानों को बदलने के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों के लिए नाममात्र (नॉमिनल) जीडीपी में गिरावट का संशोधन हुआ।
- **डिजिटल डेटाबेस का एकीकरण:** नई श्रृंखला अनुमान सटीकता में सुधार के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिकॉर्ड, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS), और ई-वाहन पोर्टल जैसे व्यापक डिजिटल और प्रशासनिक डेटासेट को शामिल करती है।
- **आधार श्रृंखलाओं की अतुलनीयता:** MoSPI ने उल्लेख किया कि डेटा कवरेज और संरचनात्मक संकेतकों में अंतर के कारण पुरानी श्रृंखलाओं (उदा. 2004-05 या 2011-12) और संशोधित श्रृंखला के बीच सीधा मुकाबला पद्धतिगत रूप से त्रुटिपूर्ण है।
- **पद्धतिगत पारदर्शिता:** राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति (ACNAS) द्वारा जारी उप-समिति रिपोर्टों के माध्यम से आधार संशोधन के लिए प्रमुख तकनीकी नींव का विवरण दिया गया था।



आवश्यक परिभाषाएं

- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP):** किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य।
- **आधार वर्ष संशोधन (Base Year Revision):** संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तनों, नए डेटा स्रोतों और अद्यतन मूल्य स्तरों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय खातों के लिए उपयोग किए जाने वाले बेंचमार्क वर्ष को अद्यतन करने की आवधिक प्रक्रिया।
- **अनौपचारिक क्षेत्र अनुभवजन्य सर्वेक्षण:** असंगठित आर्थिक गतिविधियों में उत्पादन, रोजगार और मूल्यवर्धन को सीधे मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले ASUSE और PLFS जैसे क्षेत्र-आधारित डेटा संग्रह तंत्र।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008:** नीति निर्माण और सांख्यिकीय सटीकता के लिए प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करने के लिए सरकार को सशक्त बनाने वाला वैधानिक ढांचा।
- **राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) का जनादेश:** राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानकों की देखरेख करने, डेटा अंतरालों को कम करने और राष्ट्रीय खातों में सांख्यिकीय अखंडता बनाए रखने के लिए कार्यकारी आदेश के माध्यम से स्थापित सलाहकार निकाय।
- **अनुच्छेद 280 और वित्तीय योजना:** सटीक जीडीपी डेटा वित्त आयोग द्वारा की गई लंबवत (वर्टिकल) और क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) कर हस्तांतरण सिफारिशों के लिए आधारभूत गणना बनाता है।

- **FRBM अधिनियम, 2003:** राज्य और केंद्र के ऋण-से-जीडीपी और राजकोषीय घाटे-से-जीडीपी लक्ष्यों की गणना के लिए नाममात्र (नॉमिनल) जीडीपी आंकड़ों का वैधानिक आधारभूत भाजक (डेनोमिनेटर) के रूप में उपयोग करता है।

निष्कर्ष

जीडीपी डेटा का आधार वर्ष संशोधन प्रत्यक्ष अनौपचारिक क्षेत्र मेट्रिक्स और वास्तविक समय के डिजिटल प्रशासनिक डेटा को शामिल करके आवश्यक संरचनात्मक आधुनिकीकरण को दर्शाता है। राष्ट्रीय लेखा समितियों के माध्यम से स्पष्ट तकनीकी पारदर्शिता बनाए रखना संस्थागत विश्वसनीयता को बनाए रखने और सटीक व्यापक आर्थिक निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (राष्ट्रीय आय लेखांकन, जीडीपी अनुमान पद्धतियां, अनौपचारिक क्षेत्र मापन, आधार वर्ष संशोधन)।
- **जीएस पेपर II:** शासन और संस्थागत ढांचा (MoSPI, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, सार्वजनिक नीति में डेटा पारदर्शिता)।
- **प्रमुख फोकस:** जीडीपी आधार संशोधन, ASUSE और PLFS एकीकरण, मैक्रोइकॉनॉमिक सांख्यिकी विश्वसनीयता।

11. भारत-जापान रक्षा सहयोग ने नई राह बनाई

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **रणनीतिक संबंधों में परिचालन संबंधी बदलाव:** अगस्त 2026 में जापानी रक्षा मंत्री शिनजीरो कोइजुमी की भारत यात्रा एक रणनीतिक विकास का संकेत देती है, जो द्विपक्षीय संबंधों को संस्थागत वार्ताओं (2+2 तंत्र) से प्रत्यक्ष परिचालन क्षमताओं और संयुक्त तैयारियों में स्थानांतरित करती है।
- **समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA):** दोनों राष्ट्र पश्चिमी हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र को जोड़ने के लिए सूचना-साझाकरण तंत्र में तेजी ला रहे हैं, जिससे महत्वपूर्ण भारत-प्रशांत समुद्री संचार लाइनों में निरंतर सुरक्षा कवरेज स्थापित हो सके।
- **UNICORN प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** UNICORN स्टीथ एकीकृत संचार एंटीना प्रणाली के सह-विकास पर प्रगति—जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) शामिल है—'मेक इन इंडिया' के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक प्रमुख परियोजना के रूप में कार्य करती है।
- **नौसेना रखरखाव और पोत निर्माण:** बातचीत में भारतीय उत्पादन क्षमता के साथ-साथ जापानी तकनीकी डिजाइन का लाभ उठाने, पारस्परिक जहाज मरम्मत सुविधाओं और संयुक्त नौसेना पोत निर्माण पहलों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **संयुक्त युद्ध अभ्यासों का विस्तार:** द्विपक्षीय अभ्यासों का दायरा और जटिलता बढ़ रही है, जिसमें अभ्यास 'वीर गार्जियन 2026' में जापानी लड़ाकू विमानों की भागीदारी, मानवरहित हवाई प्रणालियों का एकीकरण, और विशेष अभियान सहयोग शामिल हैं।

- **नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था:** यह साझेदारी बल या दबाव द्वारा यथास्थिति को बदलने के एकतरफा प्रयासों के विरोध की पुष्टि करती है, जो लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, नेविगेशन की स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा पर बल देती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **UNICORN (यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना):** एक उन्नत एकीकृत जहाज-आधारित मस्तूल प्रणाली (NORA-50) जो रडार क्रॉस-सेक्शन को कम करने के लिए एक समग्र स्टील्थ संरचना में कई संचार एंटेना को समेकित करती है।
- **पारस्परिक रसद और मरम्मत सुविधाएं (Reciprocal Logistics & Repair Facilities):** द्विपक्षीय व्यवस्था जो नौसेना के जहाजों को पुनः पूर्ति, मरम्मत और परिचालन सहायता के लिए एक दूसरे के बंदरगाहों, डॉकयार्ड और रखरखाव सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देती है।
- **समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA):** वैश्विक समुद्री क्षेत्र से जुड़ी किसी भी ऐसी चीज की प्रभावी समझ जो सुरक्षा, संरक्षा, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौता (ACSA), 2020:** भारतीय सशस्त्र बलों और जापान आत्म-रक्षा बलों के बीच निर्बाध रसद सहायता, आपूर्ति और सेवाएं स्थापित करने वाला मूलभूत द्विपक्षीय कानूनी ढांचा।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने और राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है।
- **रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर तीन सिद्धांत (जापान):** शिथिल जापानी कानूनी नीति ढांचा जो भारत जैसे रणनीतिक सुरक्षा साझेदारों को रक्षा हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।
- **UNCLOS (समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन), 1982:** अंतरराष्ट्रीय जल और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और शांतिपूर्ण समुद्री पारगमन की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाली कानूनी व्यवस्था।

निष्कर्ष

भारत-जापान रक्षा साझेदारी ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है, जो व्यापक राजनीतिक संरेखण से आगे बढ़कर मूर्त रक्षा-औद्योगिक उत्पादन, सह-विकास और समुद्री परिचालन एकीकरण की ओर बढ़ रही है। इन रणनीतिक समझौतों को साझा रक्षा प्रौद्योगिकी और परिचालन तैयारियों में परिवर्तित करना एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित भारत-प्रशांत क्षेत्र को सुदृढ़ करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

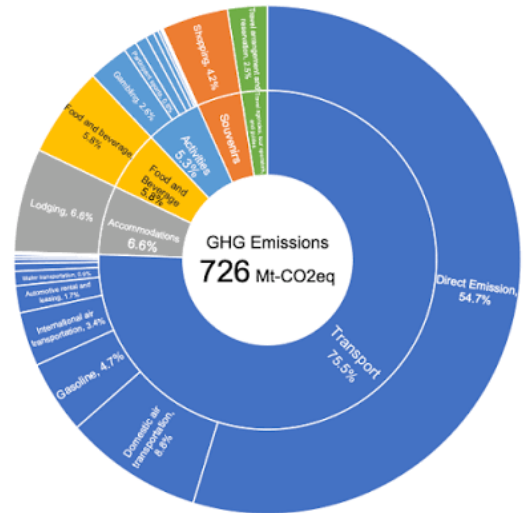
- **जीएस पेपर II:** भारत और उसका पड़ोस / द्विपक्षीय संबंध, भारत से जुड़े समूह और समझौते (भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी, क्वाड, इंडो-पैसिफिक आर्किटेक्चर)।
- **जीएस पेपर III:** सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और रक्षा में नई प्रौद्योगिकी का विकास (रक्षा में 'मेक इन इंडिया', UNICORN हस्तांतरण)।

- **प्रमुख फोकस:** ACSA प्राप्ति, समुद्री क्षेत्र जागरूकता, भारत-प्रशांत सुरक्षा वास्तुकला।

12. G20 यात्रा/परिवहन से CO2 उत्सर्जन को कैसे कम कर सकता है?

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **महत्वपूर्ण उत्सर्जन में कमी की संभावना:** काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (CEEW) की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हाइब्रिड कार्य, उच्च कार ऑक्यूपेंसी (प्रति कार यात्रियों की संख्या), और सार्वजनिक बस अपनाने को मिलाकर 2050 तक G20 यात्री परिवहन CO2 उत्सर्जन में 19.8% तक की कमी की जा सकती है।
- **शमन की मात्रा:** यह नीतिगत संयोजन वार्षिक CO2 में 408 से 538 मिलियन टन की कमी प्रदान करता है, जो 2024 में दक्षिण अफ्रीका के पूरे वार्षिक CO2 उत्सर्जन पदचिह्न के बराबर है।
- **समान कार ऑक्यूपेंसी का प्रभाव:** केवल कार ऑक्यूपेंसी में वृद्धि हासिल करने से ही G20 देशों में परिवहन CO2 उत्सर्जन में 15.1% की कमी आ सकती है।
- **हाइब्रिड कार्य मॉडल की भूमिका:** दूरस्थ (रिमोट) और हाइब्रिड कार्य प्रथाओं को एकीकृत करने से दैनिक यात्रियों की मांग को कम करके व्यक्तिगत रूप से यात्रा संबंधी कार्बन उत्सर्जन में 11.8% की कटौती होती है।
- **सार्वजनिक पारगमन एकीकरण:** सार्वजनिक बस के उपयोग को बढ़ाने से अतिरिक्त 2.0% की सीधी कमी आती है, जो मास ट्रांजिट सिस्टम की ओर मोड बदलाव (modal shifts) की आवश्यकता को सुदृढ़ करती है।
- **अनुमानित 2050 आधार रेखा:** बिना किसी हस्तक्षेप के 2050 तक G20 देशों के लिए अपेक्षित आधारभूत परिवहन CO2 उत्सर्जन 2,719 मिलियन टन है, जो संरचनात्मक मांग-पक्ष हस्तक्षेपों की तात्कालिकता पर जोर देता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **मांग-पक्ष जलवायु शमन (Demand-Side Climate Mitigation):** व्यवहारात्मक परिवर्तनों, प्रणालीगत दक्षता और प्रौद्योगिकी प्रतिस्थापन के माध्यम से कार्बन-गहन वस्तुओं और सेवाओं की मांग को कम करने पर केंद्रित उपाय।
- **वाहन ऑक्यूपेंसी दर (Vehicle Occupancy Rate):** प्रति मोटर वाहन यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या, जहां उच्च ऑक्यूपेंसी प्रति यात्री-किलोमीटर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को कम करती है।
- **मोडल शिफ्ट (Modal Shift):** निजी, कार्बन-गहन परिवहन साधनों से यात्रा व्यवहार को साइकल, सार्वजनिक या गैर-मोटरीकृत परिवहन विकल्पों की ओर स्थानांतरित करना।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निदेशक तत्व):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य):** प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का कर्तव्य डालता है, जिसमें टिकाऊ आवागमन के विकल्प शामिल हैं।
- **पेरिस समझौता (अनुच्छेद 4):** G20 सदस्यों सहित हस्ताक्षरकर्ता देशों को अर्थव्यवस्था-व्यापी उत्सर्जन में कमी को लक्षित करने वाले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) स्थापित करने की आवश्यकता होती है।
- **राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (NUTP):** उच्च क्षमता वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों (HCPTS) और गैर-मोटरीकृत पारगमन में निवेश के माध्यम से "वाहनों से ऊपर लोगों" को प्राथमिकता देने वाला भारतीय नीति ढांचा।

निष्कर्ष

G20 अर्थव्यवस्थाओं में परिवहन क्षेत्र के उत्सर्जन को कम करने के लिए ईंधन दक्षता से आगे बढ़कर व्यवहारात्मक और संरचनात्मक परिवर्तनों की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। उच्च-ऑक्सीपेंसी कारपूलिंग और विस्तारित सार्वजनिक पारगमन प्रणालियों के साथ लचीली कार्य समय-सारणी को मिलाना दीर्घकालिक नेट-जीरो जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक व्यावहारिक, उच्च-प्रभाव वाला मार्ग प्रदान करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** पर्यावरण और टिकाऊ बुनियादी ढांचा (जलवायु परिवर्तन शमन, परिवहन का वि-कार्बोनीकरण, शहरी गतिशीलता, CEEW अंतर्दृष्टि, G20 NDCs)।
- **जीएस पेपर II:** द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह (G20 जलवायु प्रतिबद्धताएं, वैश्विक पर्यावरण शासन)।
- **प्रमुख फोकस:** मांग-पक्ष शमन, शहरी परिवहन सुधार, साझा गतिशीलता मॉडल।

SIXSIGMA IAS
Dream | Dare | Deliver